अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0..... सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3
	न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0– 06–115/2013 अपीलार्थी – श्रीमती शुभकला कुमारी बनाम रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार **आदेश** प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 1804/प्रो0 दिनांक 20.12.2012 के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध हस्तांतरित होकर इस न्यायालय में दायर किया गया है। इस आँगनबाड़ी अपीलवाद में आरोप यह है कि अपर समाहर्त्ता (आपदा) सुपौल द्वारा किशनपुर परियोजना के केन्द्र सं0–131 सतन मुखिया के दरबाजे पर केन्द्र का दिनांक 02.06.2012 को 9:50 बजे दिन में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में केन्द्र पुर्णतः बंद पाया गया। उपरोक्त अनियमितता के संबंध में कार्यालय प्रत्रांक 1664/प्रो0 दिनांक 17.11.2012 द्वारा सेविका श्रीमती शुभकला देवी से स्पष्टीकरण की माँग की गई एवं उन्हें दिनांक 28.09.2012 को अपना स्पष्टीकरण एवं पक्ष रखने हेतु निर्देशित किया गया, निर्धारित तिथि को सेविका श्रीमती शुभकला कुमारी अपरिहार्य कारण से उपस्थित नहीं हुई। पुनः उन्हें 23.11.2012 को सुनवाई हेतु उपस्थित होने का आदेश निर्गत किया गया। जिसमें उपस्थित होकर श्रीमती शुभकला देवी ने अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया । इस आँगनबाड़ी अपीलवाद की सुनवाई इस	

न्यायालय में हुई जिसमें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता ने भाग लिया एवं अपना –अपना पक्ष,साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किये।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि अपीलार्थी सेविका प्राकृतिक जनकारणों (विशेष अवकाश) में दिनांक 01.06.2012 से 02.06.2012 तक विशेष अवकाश में थी, एवं केन्द्र का संपूर्ण प्रभार सहायिका को सौप दी थी। इस कारण से दिनांक 02.06.22012 को केन्द्र से अनुपस्थित थी इस संबंध में उन्होंने यह भी बताया कि अवकाश की स्वीकृति उक्त केन्द्र के पंचायत दुबियाही की वार्ड सदस्या नीलम देवी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी किशनपुर के कार्यालय में भी जाकर दी थी। विशेष अवकाश में जाने का आवेदन सी0डी0पी0ओ0 कार्यालय के सहायक श्री अजय कुमार को देकर छुट्टी में चली गई जिसकी संपुष्टि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी किशनपुर सुपौल ने अधोहस्ताक्षरी को भेजे गए पत्रांक 390 दिनांक 04.10.2014 से संपुष्ट भी किया है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि माननीय उच्च न्यायालय बिहार पटना द्वारा पुनम कुमारी v/s state /PLJR 2011/(3) की कंडिका 7 में पारित निर्देश के आलोक में यह निर्देशित है कि सेविका/सहायिका अस्वस्थता के स्थिति में अपना आवेदन कार्यालय में देकर या वार्ड सदस्य/मुखिया को देकर प्रस्थान कर सकती है वे Office to Office or person to person for authorization of leave के लिए move नहीं करेंगी। वे leave application देने के बाद table to table के लिए नहीं घुमेंगे, छुट्टी स्वीकृत माना जायेगा।

इस संबंध में सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि निरीक्षण तिथि को केन्द्र का संचालन 8:00 बजे से 12:00 बजे तक है किन्तु 9:50 बजे तक केन्द्र का बंद रहना, एक भी बच्चा नहीं पाया जाना सहायिका का भी अनुपस्थित रहना निरीक्षण के पश्चात् विशेष अवकाश का बहाना बनाना केन्द्र संचालन की जिम्मेदारी से अपने को मुक्त रखते हुए सहायिका पर केन्द्र का जबाबदेही सौपना ऐसे प्रमाण है जिससे सेविका अपने को मुक्त नहीं रह सकती है जिससे पता चलता है कि केन्द्र का संचालन नियमित रूप से नहीं किया जाता है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि सेविका का कियाकलाप काफी संतोषप्रद रहा है, उपस्थित लाभको ने बताया कि केन्द्र इसके पूर्व समुचित ढ़ंग से संचालित किया जाता

है, सेविका का कार्य सराहनीय है यह भी अवलोकन कराया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि सेविका 01.06.2012 से 02.06. 2012 को अत्यधिक मासिक धर्म होने के वजह से विशेष अवकाश में थीं निरीक्षण तिथि को सहायिका को संपूर्ण प्रभार यहां तक कि पोषाहार की साम्रगी भी देकर गई थी। किन्तु सहायिका ने पता नहीं किन कारणों से केन्द्र को समय पर संचालित नहीं की, इसका दोष सेविका के सिर पर मढ़ना, पूर्णतः सही नहीं है। क्योंकि विभागीय मार्गदर्शिका में स्पष्ट अंकित है कि सेविका की अनुपस्थिति के सहायिका केन्द्र का संचालन विधिवत रूप से करेंगी। अतः सहायिका ही इसके लिए पूर्ण दोषी है अतः सहायिका (पुनम कुमारी) को पूर्ण दोषी मानते हुए उसके एक दिन का मानदेय की राशि की कटौती कर ली जाय। लापरवाही बरतने के लिए एक चेतावनी पत्र भी दिया जाय। साथ ही इस लापरवाही के एवज में उनके गोपनीय चारित्रिक अभ्युक्ति में इसे अंकित किया जाय।

उपर्युक्त विवेचनाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि अपीलार्थी (सेविका) विशेष अवकाश में रहने के कारण छुट्टी आवेदन देकर ही केन्द्र संचालित नहीं की है इसके आधार पर इतने कड़े दंड चयन मुक्ति कर देना Nutural Justice का उल्लंघन है एक प्रकार का violation of Article- 14 के विपरीत है अतः यह न्यायालय अपीलार्थी (सेविका) को चेतावनी सहित एक मौका देते हुए आदेश निर्गत तिथि से सेविका के पद पर चयन को बरकरार रखती है। साथ ही निर्देशित है कि भविष्य में अपने दायित्वों /कार्यो को Responsibility तरीके से करें।

वाद की समाप्ति की जाती है।

लेखाप्रित एवं संशोधित

18.5.2015.

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

18.5.2015.

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा